प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

सेवा में,

अपर आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड पौड़ी ।

पत्रांक 156 /स्था0–डी0आर0डीए0/2017 , दिनांक 08 मई, 2018 ।

विषयः–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से विकल्प मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 128/2–2–स्था0(308) /वार्षिक स्थानान्तरण/2018–19 दिनांक 15.0 4.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित ''गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017के की धारा 23(4) मे दिये गये प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिको से अधिकतम 10 इच्छित स्थानो के लिए विकल्प मांगे जाने हेतु निर्देश दिये थे।

अतः उपरोक्त के कम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित ''गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, में तैनात श्री शैलेन्द्र श्री वास्तव, सहायक संख्याधिकारी का विकल्प पत्र एवं श्री अमर सिंह मेहता, कनिष्ठ अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अनुरोध पत्र संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की किया जा रहा है।

<u>संलग्न–उक्तानुसार।</u>

भवदीय,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ऊधम सिंह नगर।

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड,
पौडी ।

द्वारा : उचित माध्यम ।
(परियोजना निदेशक, डीआरडीए, ऊधमसिंह नगर)।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासन स्तर से स्थानान्तरण नीति के तहत स्वेच्छा से अन्य जनपदों में स्थानान्तरण हेतु विकल्प के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी की जन्मतिथि 03.07.1963 है, जिसके अनुसार प्रार्थी को 04.07.2017 को 55 वर्ष प्रारम्भ हो चुका है साथ ही यह भी विन्रम अनुरोध है कि प्रार्थी का 14–15 वर्ष पूर्व रोड दुर्घटना होने के कारण रीढ की हड्डी में आंशिक क्रेक (L4 व L5) होने के कारण डाक्टरों की चिकित्सकीय परामर्शानुसार चढाई–ढलान में ज्यादा चलना फिरना मना किया है।

अतः उपरोक्त कम में करबद्व अनुरोध है कि कृपया प्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी का जनपद ऊधमसिंह नगर से अन्य जनपदों को स्थानान्तरण न करने की कृपा करें, इस हेतु प्रार्थी आपका आभारी रहेगा ।

भवदीय,

दिनांकः 08-05 2018

(अमर सिंह मेहता)
कनिष्ठ अभियन्ता,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ऊधमसिंह नगर ।